न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 76/2019

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
नरेश पुत्र हनुमानराम जाति सीरवी निवासी बेरा धोलची दीवानजी के बाग के पास वार्ड 21 बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर		1. धन्नाराम पुत्र रूघाराम जाति सोरवी निवासी बेरा बेरा धोलची दीवानजी के बाग के पास वार्ड 21 बिलाडा 2. जेठाराम पुत्र ि"ाम्भुराम जाति सीरवी निवासी बेरा सुगालिया ग्राम बासना तह. सोजत सिटी जिला पाली 3. चन्द्ररानी पत्नी भुराराम जाति सीरवी निवासी बेरा नोकडा ग्राम सिंगला जिला पाली 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :— वादीगण की ओर से श्री नरपतसिंह सोंलकी एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1से 3 की ओर से श्री संजय कुमार चौधरी
प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक** :—

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि कस्बा बिलाडा चक 4 की सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 2311 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 2316 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही अलीफ, खसरा नं. 2320 रकबा 04 बिस्वा किस्म गै.मु. आबादी, खसरा सं. 2321 रकबा 14 बिस्वा किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 2336 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 2338 रकबा 04 बिस्वा किस्म चाही अलीफ कुल ख[illegible] कुल रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा स्थित है। जिसमें वादी का 1/3, प्रतिवादी [illegible] का 1/3 व प्रतिवादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा स्थित है। सबूत के [illegible] जमाबन्दी खाता सं. 162 संवत् 2068 से 2071 तक पे"ा है। वादी के पिता हनुमानराम वादी के दादा [illegible]"ानाराम से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

फौत हो गये थे। वादी के पिता हनुमानराम स्व. कि”ानाराम के गोदपुत्र थे, वादी के पिता हनुमानराम ने स्व. कि”ानारामजी के साथ बतौर पुत्र जीवनपर्यन्त रहे तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद स्व. कि”ानाराम के साथ बतौर पौत्र साथ रहा तथा पुत्रधर्म का पालन किया। सामाजिक रीति–रीवाज अनुसार स्व. कि”ानारामजी ने वादी के पिता हनुमानराम को गोदीपुत्र स्वीकार किया तथा वादी को स्व. कि”ानारामजी ने अपने जीवनकाल में पौत्र रूप में स्वीकार किया। वादी को अपने दादा स्व. कि”ानारामजी के खातेदारी एवं कब्जा का”त की वादग्रस्त भूमि में हिस्से अनुसार कानूनी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रतिवादीगण को वादी दादा के खातेदारी एवं कब्जा का”त की वादग्रस्त भूमि पर कोई कानूनी हक व अधिकार उत्पन्न नहीं होता। वादी अपने पु”तैनी जायगा को खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में वादी अपने हिस्से अनुसार अपनी समझ समझाई”ा से स्व. कि”ानारामजी की भूमि का मौके पर उपयोग व उपभोग कर रहा है। हिस्से अनसार वादग्रस्त भूमि में वादी को बंटवाडा करवाकर अलग करवाने का पूर्ण अधिकार है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से की भूमि में बंटवाडा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। वादी अपने 1/3 हिस्से की भूमि में स्थित हिस्से व हक पर पूर्णरूप से काबिज मालिक है तथा अपने हक व हिस्से को सुरक्षित करने का कानूनी अधिकार रखता है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने का कानूनी अधिकार नहीं रखते । वादी के हिस्से में स्थित भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखल उत्पन्न नही करें, जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना न्यायहित में आव”यक व लाजमी है प्रतिवादी सं. 1 स्व. रूघारामजी के पुत्र व प्रतिवादी सं. 2 स्व. रूघारामजी का पौत्र व प्रतिवादी सं. 3 स्व. रूघारामजी की पुत्री है। तथा स्व. कि”ानारामजी के भाई व बहिने एवं द्वितीय स्तर की उतराधिकारी की श्रेणी में होने से पक्षकार बनाये गये है।वाद कारण दिनांक 17.07.2019 को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादी के हिस्से अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाने हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष पे”ा होने से मना करने व वादी के हिस्से से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम कस्बा बिलाडा में उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है।

अन्त में निवेदन किया है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 से 3 इस आ”ाय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद सं. 1 में वर्णित भूमि में वादी के दादा कि”ानाराम के हिस्से का जरिये उतराधिकारी वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार का”तकार घोषित किया जावें। डिक्री बहक वादी विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 1 से 3 इस आ”ाय की जारी फरमाई जावे कि वाद के पद सं.1 में वर्णित भूमि में वादी के उतराधिकारी में प्राप्त 1/3 हिस्सा अनुसार अलग–अलग बाई मिन्टस एण्ड बाउण्टस बंटवाडा करवाया जावें व अलग–अलग तरमीम करवाई जावे तथा वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से दखलअदांजी उत्पन्न नहीं करे, जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हमे”ाा के वास्ते रोका जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने जवाब दावा पे”ा किया है प्रतिवादी सं. 4 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आव”यकता नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर जवाब दावा पे”ा किया है जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पद सं. 1 से 4 सही होने से स्वीकार है। वादी को उनके हक हिस्से में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के हक हिस्से पर किसी पकार से कोई उजर ऐतराज नहीं है। वादी अपने हक हिस्से तक की भूमि प्राप्त करने व रखने पर प्रतिवादीगण की कोई आपति नहीं है। लेकिन हक से अधिक भूमि का अधिकार वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों को नहीं बनता है। पद सं. 6 से 8 सही होने से स्वीकार है। पद सं. 9 व 10 कानूनी है। पद सं. 11 वादी का अनुतोष है जिसमें वादी अपने हक हिस्से तक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु हिस्से से अधिक भूमि पर हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। हिस्से अनुसार पक्षकारों का बंटवाडा किया जाना न्यायहित में उचित है। अतः जवाब दावा प्रतिवादी सं. 1 से 3 की ओर से पे”ा कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादीगण के हक व हिस्से तक कानूनी सलूक फरमावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र पर मनन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 खाता संख्या 162, मृत्यु प्रमाण पत्र किसनाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमानराम आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह विदित होता है कि स्व. कि”ानाराम उक्त भूमि क रेकर्डेड सयुक्त खातेदार है लेकिन वादी यह साबित करने में असफल रहा कि स्व. कि”ानाराम ने वादी के पिता हनुमानराम को गोदपुत्र स्वीकार किया तथा वादी को स्व. कि”ानाराम ने अपने जीवनकाल में पौत्र रूप में स्वीकार किया। वादी द्वारा पे”ा दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नही हो[illegible] कि”ानाराम के गोदपुत्र हनुमानराम का पुत्र है तथा वादी का उसके [illegible] में हिस्सा निहित है लेकिन वादी यह साबित करने में भी असफल रहा कि [illegible]मानराम के वादी एकमात्र उतराधिकारी है। वादी के वाद पत्र से एवं प्रतिवा[illegible]ण द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

होता है कि स्व. कि"ानाराम ने वादी के पिता हनुमानराम को गोद लिया एवं वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पे"ा नही किया गया जिसमें यह साबित हो कि हनुमानराम स्व. कि"ानाराम का गोद पुत्र हो तथा वादी स्व. हनुमानराम का एकमात्र वारिस हो। वादी अपना वाद साबित करने में असफल रहा।

<u>आदेश</u>

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। अंतिम डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास भवानी सिंह, आर.ए.एस.

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

नरेश पुत्र हनुमानराम
जाति सीरवी निवासी
बेरा धोलची दीवानजी के बाग
के पास वार्ड 21 बिलाडा
तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

1. धन्नाराम पुत्र रूघाराम
   जाति सीरवी निवासी बेरा
   बेरा धोलची दीवानजी के बाग
   के पास वार्ड 21 बिलाडा
2. जेठाराम पुत्र ि"ाम्भुराम
   जाति सीरवी निवासी बेरा
   सुगालिया ग्राम बासना
   तह. सोजत सिटी जिला पाली
3. चन्द्ररानी पत्नी भुराराम जाति
   सीरवी निवासी बेरा नोकडा ग्राम
   सिंगला जिला पाली
4. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाडा

राजस्व वाद संख्या :– 76/2019

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरपतसिंह सोलंकी एडवोकेट वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से श्री संजय चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददई पे"ा होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसल"ाुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि"नर			फीस कमि"नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.07.29 13:19:06 IST
Reason: SelfAttested

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा